

ADDI (mk)
615

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

निदेशक

क्रमांक प.4(12) वित्त/राजस्व/04 पार्ट-I (लूज)

जयपुर, दिनांक 13 FEB 2012

निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:-दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों
की मेडिकलेम बीमा पॉलिसी के संबंध में।

संदर्भ:-आपका पत्रांक प.1(38)जीआईएफ/ डीईवी/2005/ मेडि/पार्ट-I
2255-56 दिनांक 13.12.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि दिनांक
01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों की मेडिकलेम बीमा
पॉलिसी के समस्त कार्य करने हेतु निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
को अग्रिम आदेशों तक अधिकृत किया जाता है।

भवदीय
विशेषाधिकारी